



Neutral Citation No.- 2026:AHC:11960

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-43332 वर्ष 2024

मुन्ना @ अशरफ

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: इरशाद अहमद, सुशील कुमार तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर जवाबी हलफ़नामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुशील कुमार तिवारी, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या-381 वर्ष 2023, धारा 323, 307, 302, 504 भ०द०वि०, थाना-हयातनगर, ज़िला: संभल के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। अ०सा०-1 और अ०सा०-2 तथ्य के गवाह हैं और मुकदमे के दौरान उनकी जांच की गई है और वे अपने पहले के बयानों से पूरी तरह से पीछे हट गए हैं और लोक अभियोजक द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित करने के बाद जिरह की गई है। अ०सा०-3 पंच गवाह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, इस प्रकार, वह केवल एक औपचारिक गवाह है। अ०सा०-4 और अ०सा०-5 चशमदीद गवाह हैं और वे पक्षद्रोही गए हैं, इस प्रकार, प्रस्तुत मामले में आवेदक के दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 9.11.2023 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं कर सका।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गवाह पक्षद्रोही गए हैं, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

8. आवेदक- मुन्ना @ अशरफ, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।



जनवरी 19, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!